

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी
पत्रांक 184 मोतिहारी, दिनांक - 10.02.2025

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मोतिहारी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल खसौल

विषय :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खसौल के अधीन MMGSY (AWSESH) अन्तर्गत MMGSY (AWSESH)-NDB-BRRP2-384 RAXAUL (Tender ID-137625) के निविदा निष्पादन के संबंध में।

महाराज,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खसौल के अधीन MMGSY (AWSESH) अन्तर्गत MMGSY (AWSESH)-NDB-BRRP2-384 RAXAUL (Tender ID-137625) के निविदा के वित्तीय बीड में सफल निविदाकार **Vishwambhar Engineering (Bid ID-603431)** द्वारा उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 19.11% कम है अर्थात् कुल राशि 54,98,934.00 (चौवन लाख, अगठानवे हजार, नौ सौ चौतीस) रु० मात्र की स्वीकृति प्रदान कर कार्यरित एवं आपकी अनुश्रुता के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता है।

- 2 निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
- 3 कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल खसौल रावेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन०एस०सी०/पासबुक आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यदेश निर्गत करने के पूर्व अध्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 4 एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अध्रधन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाए एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाए की संवेदक डीबार सूची से मुक्त है।
- 5 कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
- 6 इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिससे विशेष शर्त में जोड़कर रावेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- 7 अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में यत्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहरताक्षरी को अवगत करायेगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्यवाई की जायेगी।
- 8 एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
- 9 कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारुप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।

VISHWAMBHAR ENGINEERING

Handwritten signature

Proprietor

Handwritten signature
05/02

Handwritten signature
E. E.
RWD, W. D. Raxaul
05/02/25



CamScanner

Scanned with OKEN Scanner



Scanned with OKEN Scanner

10. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।
11. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जायेगी।
12. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।
13. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गए संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।
14. इस कार्य का व्यय शीर्ष **MMGSY** से मिलने वाली राशि के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।
15. एकरारनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरारनामा के समय प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को उपलब्ध कराया जाय ताकि कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के साथ मदवार प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं सम्बन्धित संवेदक को प्रत्येक पन्द्रह दिनों पर सूचित करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता दण्डात्मक कार्रवाई संवेदक के विरुद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निदेश का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्रवाई के पात्र होंगे।
16. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जॉचोपरान्त आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
17. एकरारनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिए गए कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल रक्सौल, तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रेषणित प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
18. इस निविदा की राशि में अगर कोई अन्तर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
19. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का ऑनलाईन निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दुरभाष संख्या कार्यदेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
20. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंन्स सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
22. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा से पूर्व अनुरक्षण अवधि वाले पथ के संवेदक का एकरारनामा विखंडन करना सुनिश्चित करेंगे।

कृप्या पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनुलग्नक :- यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन

19/12/2025

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल मोतिहारी

19/12/25

E. E.

RWD, W. D. Raxaul

03/03/25

VISHWAMBHAR ENGINEERING

Atul

Proprietor

05/03



CamScanner

Scanned with OKEN Scanner



Scanned with OKEN Scanner